विहंगावलोकन

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह रिपोर्ट भारत सरकार के नौ वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के लेन-देन का अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले मामलों से संबंधित है। रिपोर्ट में छः अध्याय हैं। अध्याय I इस रिपोर्ट को तैयार करने के उद्देश्य को स्पष्ट करने के अलावा लेखापरीक्षा क्षेत्र और कार्यप्रणाली को परिभाषित करता है तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष और टिप्पणियों का भी एक सारांश प्रदान करता है। अध्याय II से VI वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों और उनके अधीन अनुसंधान केंद्रों, संस्थानों और स्वायत्त निकायों का अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न विस्तृत निष्कर्ष/टिप्पणियों प्रस्तुत करते हैं।

वर्तमान रिपोर्ट में उभारे गए चिंता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत डाला गया है:

- अक्षम परियोजना प्रबंधन
- खरीद और अनुबंध प्रबंधन में कमजोरियां
- आवश्यक मंजूरी के बिना कर्मचारियों को वित्तीय लाभ बढ़ाया गया तथा
- आंतरिक नियंत्रण में कमी

इस रिपोर्ट में शामिल विशिष्ट लेखापरीक्षा निष्कर्षों का अवलोकन नीचे दिया गया है:

अक्षम परियोजना प्रबंधन

एस.आर.ई.-2 की प्राप्ति में असाधारण विलम्ब

अन्तरिक्ष विभाग का अंतरिक्ष कैपसूल रिकवरी प्रयोग-2 मिशन का प्रक्षेपण, जो आरम्भ में अगस्त 2008 के लिए नियत था, 5 वर्षों से अधिक से विलम्बित था। इसके परिणाम स्वरुप मिशन के लिए खरीदे गए पैराशूट तथा फ्लोट्स की अवधि समाप्ति के

कारण ₹ 52 लाख का निष्फल व्यय और मिशन पर ₹ 30.66 करोड़ का व्यय करने के बावजूद मिशन के उद्देश्य मार्च 2014 तक अप्राप्त रहे।

(पैराग्राफ 4.1)

राष्ट्रीय डाटा प्लव परियोजना

राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान ने कार्यान्वयन के 12 वर्ष बाद भी समुद्र में प्लवों के उत्पादन तथा परिनियोजन के लिए देशज प्रौद्यिगिकी के विकास का उद्देश्य प्राप्त करने में सीमित सफलता प्राप्त की। प्लव परियोजना के पूरक के रूप में देशीय रूप से विकसित कम लागत मौसम प्लव अभिप्रेत प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किए जा रहे थे। भारतीय सेटेलाइट के माध्यम से संचार स्थापित करने के प्रयास जुलाई 2014 तक परीक्षण चरण पर रहे। डाटा प्लवों के परिनियोजन हेतु खरीदा गया समर्पित जहाज अभिप्रेत प्रयोजन हेतु मुश्किल से उपयोग किया गया था।

(पैराग्राफ 5.1)

जैव विविधता के समन्वेषण, पहचान और निगरानी में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की गतिविधियां

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने जैव विविधता के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (सी.बी.डी.), जिसका भारत एक पक्ष है, के उद्देश्य के साथ इसे पंक्तिबद्ध करने लिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (भा.प्रा.स.) के उद्देश्यों को नए सिरे से परिभाषित किया; और देश के जीव विविधता के समन्वेषण, सर्वेक्षण, सूचीबद्ध करने का कार्य और निगरानी के लिए 1993-2020 की अवधि को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक सामरिक योजना तैयार की। मार्च 2014 तक, भा.प्रा.स. सभी योजनाबद्ध गतिविधियों में सी.बी.डी. के तहत देश की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अपने लक्ष्य से पीछे रहा।

चयनित राज्यों, पारिस्थितिकी प्रणालियों और संरक्षित क्षेत्रों में जीव विविधता का समन्वेषण, सर्वेक्षण और सूचीबद्ध करने का कार्य समय पर पूरा नहीं किया गया। सर्वेक्षण करने के लिए कोई मानक पद्धति और किए गए सर्वेक्षण कार्य के निरीक्षण और मूल्यांकन के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। जीव प्रजातियों की क्षेत्र और

प्रजातिवार निगरानी भी शुरू नहीं की गई तथा इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी।

वर्गीकरणशास्त्री का कार्यरत बल संस्वीकृत बल से काफी कम था। वर्गीकरणशास्त्री की कमी से जीव वर्गीय अध्ययन प्रभावित हुआ जैसा कि संग्रहीत प्रजातियों की कुल संख्या का मात्र 34 प्रतिशत ही वर्गीकृत रूप से पहचान की गई। यद्यपि वर्गीकरण को एक अति विशिष्ट विषय के रूप में मान्यता दी गई थी फिर भी भा.प्रा.स. अपने नए भर्ती वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण के लिए तैनात करने में विफल रहा।

संकटग्रस्त एवं स्थानिक प्रजातियों की समीक्षा अत्यंत सीमित थी। समीक्षा हेतु लक्षित 10 प्रजातियों में से सात प्रजातियों के लिए वस्तु स्थिति सर्वेक्षण की शुरुआत नहीं की गयी थी।

(पैराग्राफ 6.1)

राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान स्थापित करने में असाधारण विलम्ब

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नोएडा प्राधिकरण द्वारा इसे आवंटित भूमि पर राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान का विकास करने के लिए उसके साथ समझौता ज्ञापन करने में विफल हो गया। परिणामस्वरूप राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान के विकास पर ₹ 11.54 करोड़ खर्च करने के बाद, 17 वर्षों से अधिक के बाद भी भूमि के स्वामित्व की स्थिति असुलझी रही और राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान का उद्देश्य भी मार्च 2014 तक अपूर्ण रहा।

(पैराग्राफ 6.2)

नगर ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु आदर्श सुविधाएं स्थापित न करना

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) द्वारा कार्यान्वित योजना के अन्तर्गत चयनित 10 राज्यों में ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु आदर्श सुविधाएं परियोजनाओं के आरम्भ के 10 वर्षों के बाद और ₹24.80 करोड़ का व्यय करने के बाद भी स्थापित नहीं की गई थीं। सी.पी.सी.बी. तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा परियोजनाओं की अपर्याप्त निगरानी की गई जिसके कारण अपूर्ण कार्य, परियोजनाओं की समय पूर्व समाप्ति, निष्फल व्यय, सृजित सुविधाओं की निष्क्रियता और परियोजनाओं के अंतर्गत

निष्क्रिय रहे अव्ययित शेष हुए। परिणामस्वरूप पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नगर ठोस अपशिष्ट नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए राज्यों तथा शहरी स्थानीय निकायों की सहायता करने का मूल उद्देश्य अप्राप्त रहा।

(पैराग्राफ 6.4)

खरीद और अनुबंध प्रबंधन में कमजोरियां

उपकरण का अनुपयोग

खरीद एवं भण्डार निदेशालय, मुम्बई ने उपकरण, जो पारगमन में क्षतिग्रस्त हो गया था, की मरम्मत के लिए प्रभावी कार्यवाई नहीं की जिसके परिणामस्वरुप इसकी खरीद पर खर्च की गई ₹5.56 करोड़ की निधियां अवरुद्ध हो गई।

(पैराग्राफ 2.1)

उपकरणों का प्रतिष्ठापन न करना

इण्डियन एसोसिएशन फॉर दी कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता, उपकरणों के प्रतिष्ठापन के लिए समय पर स्थान की पहचान करने में विफल हो गया, स्थान की तैयारी में विलम्ब किया और इस दौरान उपकरण का उचित भण्डारण सुनिश्चित करने में भी विफल रहा। परिणामस्वरूप ₹ 3.40 करोड़ की लागत पर खरीदे गए उपकरण पाँच वर्षों से अधिक के लिए अप्रतिष्ठापित रहे और अनुचित भण्डारण के कारण क्षतिग्रस्त हो गए जिनकी ₹ 21.17 लाख की अतिरिक्त लागत पर मरम्मत की गई।

(पैराग्राफ 3.2)

गलत ठेका प्रबन्धन के कारण परिहार्य व्यय

इसरो सैटलाइट सेंटर, बंगलुरु ने विरचना कार्यों को पूरा करने के लिए निश्चित समयावधि का उल्लेख किए बिना हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ किए दो विरचना ठेकों में मूल्य वृद्धि खण्ड शामिल किए। इसके अलावा ठेकों के हस्ताक्षर की तारीख से तीन वर्ष बाद इन्होने कार्य-विस्तार बदले बिना श्रम घंटो की निर्धारित उपरी

सीमा बढ़ाने के द्वारा ठेके संशोधित किए। गलत ठेका प्रबन्धन के परिणामस्वरुप ₹4.35 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 4.3)

संघटको के क्रय पर निष्फल व्यय

परियोजना में उपयोग हेतु सालिड स्टेट स्विचों की आवश्यकता उचित प्रकार निर्धारित करने में इसरो सैटेलाइट सेंटर विफल हो गया। स्विच परियोजना में अन्ततः उपयोग नहीं किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप उनकी खरीद पर किया गया ₹ 1.47 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

(पैराग्राफ 4.4)

आवश्यक मंजूरी के बिना कर्मचारियों को वित्तीय लाभ बढ़ाया गया

ग्रेच्युटी का अनियमित भुगतान

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अनियमित रूप से अपने स्वायत्त निकायों को उनके नियमित कर्मचारियों की सी.सी.एस. पेंशन नियमावली, 1972 के प्रावधानों के तहत परिकल्पित सेवा शर्तों को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 से बदलने की अनुमति प्रदान की। इस अनुमति के आधार पर, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई ने 54 नियमित कर्मचारियों, जो सेवा से त्यागपत्र दे चुके थे, को ₹68.88 लाख ग्रेच्युटी का भुगतान किया।

(पैराग्राफ 5.2)

आंतरिक नियंत्रण में कमी

विधिक शुल्क का कपटपूर्ण भुगतान

इंडियन एसोसिएशन फॉर दी कल्टीवेशन ऑफ साइंस तथा बोस संस्थान ने एक अधिवक्ता को न्यायालय में वास्तविक उपस्थिति का सत्यापन किए बिना ₹83.55 लाख का भुगतान किया। इसमें से ₹54.93 लाख का भुगतान कपटपूर्ण पाया गया।

(पैराग्राफ 3.1)

उपग्रह क्षमता के आवंटन में हानि

उपग्रह सेवाओं के सभी प्रयोक्ताओं को प्रभारित करने में भारत सरकार के निर्णय के उल्लंघन में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन, अन्तरिक्ष विभाग ने आंध्रप्रदेश सरकार को निःशुल्क संचार उपग्रह क्षमता उपलब्ध कराई जिसके परिणामस्वरुप ₹19.16 करोड़ की हानि हुई।

(पैराग्राफ 4.2)

कार्यालय स्थान के किराए पर अपव्यय

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय लगभग 29 महीनों के लिए किराए के परिसर में 17 में से 13 कक्षों का उपयोग करने में विफल हो गया, जिससे किराए तथा ब्याज के बकाया देयों के प्रति ₹ 4.43 करोड़ की देयता उठाने के अतिरिक्त, उनके नवीकरण तथा किराए पर किया गया ₹ 91.12 लाख का व्यय व्यापक रूप से अपव्यय हो गया।

(पैराग्राफ 6.3)